

|                                                                                                   |                                                                                               |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <br>सत्यमेव जयते | <b>राजस्थान राजपत्र</b><br><b>विशेषांक</b>                                                    | <b>RAJASTHAN GAZETTE</b><br><b>Extraordinary</b> |
|                                                                                                   | <b>साधिकार प्रकाशित</b>                                                                       | <b>Published by Authority</b>                    |
|                                                                                                   | माघ 21, मंगलवार, श॥के 1947- फरवरी 10, 2026<br>Magha 21, Tuesday, Saka 1947- February 10, 2026 |                                                  |

भाग-1(ख)

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर**

**कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चूरु, जिला-चूरु**

**प्रपत्र - 7**

(धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार

अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत)

नियम 16 के उपनियम-(1) देखें

**अनुपूरक प्रारम्भिक अधिसूचना**

**चूरु फरवरी 06, 2026**

**संख्या-प.7(699)एस.एच.ए./पीपीपी/2021-22:** राजस्थान राजपत्र विशेषांक में अधिसूचना दिनांक 14 जून, 2023 जोकि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चूरु-तारानगर-नोहर (राज्य राजमार्ग संख्या-36) को पी.पी.पी. मोड के तहत विकसित किये जाने हेतु जिला चूरु, तहसील चूरु के ग्राम गाजसर से कुल **9.3020 हेक्टर** भूमि की अवाप्ति हेतु प्रकाशित किया गया था। उक्त प्रकाशित अधिसूचना के सापेक्ष माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या 3751/2025 पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2025 के क्रम में जिला कलक्टर चूरु द्वारा उक्त प्रकरण की मौका स्थिति की जांच हेतु निर्देश इस कार्यालय को दिनांक 14.06.2025 को प्राप्त हुआ। जिसकी पालना में इस कार्यालय द्वारा गाजसर बाईपास प्रकरण की जांच कराया जाकर दिनांक 22.08.2025 को रिपोर्ट श्रीमान् जिला कलक्टर चूरु को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर श्रीमान् जिला कलक्टर चूरु द्वारा दिनांक 09.10.2025 को पारित आदेश की पालना में भूमि अवाप्ति योजना को संशोधित किया गया। तैयार संशोधित भूमि अवाप्ति योजना अनुसार प्रभावित अतिरिक्त खसरों को सम्मिलित कर धारा 11 अन्तर्गत अनुपूरक प्रारम्भिक अधिसूचना जारी करने हेतु सक्षम स्तर से निर्णय लिया गया है।

उक्तानुसार परियोजना सड़क चूरु-तारानगर-नोहर (राज्य राजमार्ग संख्या-36) हेतु जिला चूरु, तहसील चूरु के प्रभावित ग्राम गाजसर से कुल **0.5534 हेक्टर** भूमि की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि उपरोक्त परियोजना के लिए दिनांक 14 जून, 2023 को प्रकाशित धारा-11 (प्रारम्भिक अधिसूचना) के परिपेक्ष में मानक माप एवं संशोधित भूमि अवाप्ति योजना के अनुसार जिला चूरु, तहसील चूरु के ग्राम गाजसर में कुल **0.5534 हेक्टर** अतिरिक्त भूमि अधिसूचित की जाती है। प्रस्तावित अनुपूरक भूमि अर्जन का विवरण निम्नलिखित है:-

| अनुसूची             |                         |                         |                  |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्र. सं.            | सर्वेक्षण (खसरा) संख्या | संपूर्ण क्षेत्रफल (हे.) | शीर्षक का प्रकार | भूमि का प्रकार | प्रभावित क्षेत्रफल (हे.) | हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ग्राम- गाजसर</b> |                         |                         |                  |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                   | 1278/873                | 3.2382                  | निजी             | बारानी         | 0.0875                   | 1. गोपालराम पुत्र खीवाराम हिस्सा-पूर्ण जाति-जाट निवासी गाजसर खातेदार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                   | 871/469                 | 0.4679                  | निजी             | बारानी         | 0.0946                   | 1. गोपालराम पुत्र खीवाराम हिस्सा-पूर्ण जाति-जाट निवासी गाजसर खातेदार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3                   | 870/469                 | 4.2872                  | निजी             | बारानी         | 0.2949                   | 1. चीमनाराम पुत्र खीवाराम हिस्सा-पूर्ण जाति-जाट निवासी गाजसर खातेदार राहिन (खसरा सं- 1326/875 बिना रहन) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रिकोचूरू                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                   | 869/469                 | 5.1851                  | निजी             | बारानी         | 0.0253                   | 1. शारदादेवी पत्नि भागीरथ हिस्सा-1/3 जाति-जाट निवासी गाजसर खातेदार राहिन हिस्सा-1/3 (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा आर.जी.बी. रीको चूरू<br>2. सुर्यप्रकाश पुत्र भागीरथ हिस्सा-1/3 जाति-जाट निवासी गाजसर खातेदार राहिन हिस्सा-1/3 (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा आर.जी.बी. रीको चूरू<br>3. सुशीला पुत्री भागीरथ हिस्सा-1/3 जाति-जाट निवासी गाजसर खातेदार राहिन हिस्सा-1/3 (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा आर.जी.बी. रीको चूरू |
| 5                   | 939/332                 | 0.3161                  | निजी             | बारानी         | 0.0414                   | 1. इन्द्रचन्द पुत्र मंगलाराम हिस्सा-पूर्ण जाति-खटीक निवासी चूरू खातेदार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6                   | 943/331                 | 1.2267                  | निजी             | बारानी         | 0.0097                   | 1. इन्द्रचन्द पुत्र मंगलाराम हिस्सा-पूर्ण जाति-खटीक निवासी चूरू खातेदार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>योग</b>          |                         |                         |                  |                | <b>0.5534</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

भूमि योजना का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चूरू, जिला-चूरूके कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार परियोजना निदेशक, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, पी.आई.यू.-हनुमानगढ़ एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने श्रमिकों सहित यदि कोई हो, को प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने तथा तलमापन करने, अवमृदा के भीतर खोदने या भेदन करने तथा वह समस्त कार्य, जो धारा 12 में वर्णित हैं, को करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति अधिसूचित भूमि के क्रय/विक्रय संबंधी कार्य इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् बिना उपखण्ड अधिकारी चूरु, जिला-चूरु की पूर्वानुमति के नहीं करेगा।

इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवस में यदि किसी हितबद्ध पक्षकार को भूमि अर्जन से संबंधित कोई आपत्ति है तो अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत आपत्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चूरु, जिला-चूरु के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।

आर. के. लूथरा,  
संयुक्त सचिव ,(पथ)  
सार्वजनिक निर्माण विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।